150 YEAR OF CELEBRATING THE MAHATMA

<u>कार्यालय : प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पूर्व निमाड़, जिला खण्डवा (म0प्र0)</u>

:: नीलाम विज्ञप्ति::

जावक क्रमांक : 02 /25 खण्डवा, दिनांक :20 / 01 / 2025

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा के कार्यालय में आवंटित शासकीय वाहन की खुली नीलामी प्रकिया के माध्यम से नीलाम किया जाना है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग ले सकते हैं। वाहन का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	वाहन कमांक	मॉडल वर्ष	स्थान जहां वाहन उपलब्ध है	निर्धारित अपसेट प्राईज (रूपये में)	अमानत राशि	चलित दूरी
01.	टाटा इंडिगो (GLS), एम.पी. 02 ए.व्ही. 2492	2009	कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा	58,800 / – (अठावन हजार आठ सौ रूपये)	5,880 / –	57491 किलोमीटर

<u>निविदा शर्तें:–</u>

01. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 बजे तक जिला न्यायालय, खंडवा के परिसर में नायब नाजीर / सेल अमीन, कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा को अमानत राशि रूपये 5,880 / – एक दिवस पूर्व तक जमा कर रसीद प्राप्त कर सकेगा। उक्त राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

02. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में कार्यालयीन समय में कुटुम्ब न्यायालय खंडवा के नजारत अनुभाग में निविदाकर्ता चाहे तो 01 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा और जमा राशि की प्राप्त रसीद द्वितीय प्रति के साथ नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

03. वाहन की नीलामी प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा एवं नजारत अनुभाग खंडवा के माध्यम से नजारत अनुभाग द्वारा न्यायालय परिसर, खंडवा में **<u>दिनांक 18.02.2025 को सांयकाल 5:30</u>** बजे तक आयोजित की जाएगी।

04. अधिकतम नीलामी बोली को स्वीकार किये जाने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा को होगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

05. अधिकतम नीलामी बोलीकर्ता को नीलाम बोली की शेष राशि 03 दिवस के भीतर नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय खंडवा में जमा कराकर वाहन का आधिपत्य प्राप्त करना तथा स्वयं के व्यय पर वाहन ले जाना होगा।

06. अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा राशि को जमा न कराये जाने की स्थिति में उसके द्वारा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

07. नीलामी स्वीकृत पश्चात् क्रेता को नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र कार्यालय से प्राप्त कर परिवहन विभाग से नया पंजीयन स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन के क्रमांक का प्रयोग क्रेता द्वारा नहीं किया जावेगा।

08. वाहन की उचित कीमत प्राप्त न होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा बुलायी जावेगी।

09. वाहन जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम होगा। वाहन का अवलोकन करना चाहे, तो नजारत अनुभाग, कुटुम्ब न्यायालय खंडवा में कार्यालयीन समय में नीलामी तिथि के 1 दिन पूर्व किया जा सकेगा।

10. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालीन क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय, खंडवा का होगा।

11. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन जिला न्यायालय, पूर्व निमाड़ खंडवा की वेबसाईट <u>https://khandwa.dcourts.gov.in/</u> पर किया जा सकेगा।

12. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के वेबसाईट <u>www.mphc.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

Sd/-

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय

खण्डवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रं. 9/25 खंडवा, दिनांक 22/01/2025

प्रतिलिपिः—

01. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।

02. आयुक्त जनसंपर्क, कार्यालय खंडवा, की ओर निशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि नीलाम विज्ञापन के प्रकाशन की सूचना प्रकाशित अंक के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

03. कार्यालय कलेक्टर/कमीशनर, नगर पालिका, खंडवा की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि सूचना समस्त सार्वजनिक स्थानों के सूचना—पटल पर चस्पा करवाये जाने हेतु प्रेषित।

04. नायब नाजीर/सेल अमीन, नजारत अनुभाग खंडवा की ओर प्रेषित कर लेख है कि नीलामी विज्ञापन प्रकाशित करवाकर अखबार की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करे एवं न्यायालय भवन के मुख्य सूचना पटल, प्रवेश द्वारा एवं जिलाधीश कार्यालय खंडवा, नगर पालिका परिषद खंडवा के मुख्य सूचना पटल पर नीलाम विज्ञापन चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

05. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्युटर अनुविभाग, खंडवा की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय वाहन की नीलामी की विज्ञप्ति ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

06. स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खंडवा की ओर माननीय महोदजी को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
खण्डवा (म0प्र0)